ईसाइयों के त्योहारों में भाग लेने का हुक्म

حكم مشاركة النصارى في أعيادهم

[**हिन्दी** – Hindi – هندي]

इफ्ता एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2014 - 1436

IslamHouse.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

ईसाइयों के त्योहारों में भाग लेने का हुक्म

प्रश्नः

क्या मुसलमान के लिए ईसाइयों के साथ उनके त्योंहारों में जो ''क्रिसमस'' के नाम से जाना जाता है, जो दिसंबर के महीने के अंत में आयोजित किया जाता है, भाग लेने की अनुमति है या नहीं? हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान से संबंध रखते हैं, परंतु वे ईसाइयों के त्योहार में उनकी बैठकों में बैठते हैं और उसके जायज़ होने की बात कहते हैं, तो क्या उनका यह कथन सही है या नहीं? और क्या उनके पास इसके जायज़ होने की कोई शरई दलील (सबूत) है या नहीं?

उत्तरः

ईसाइयों के साथ उनके त्योहारों में भाग लेने की अनुमति नहीं है, चाहे उसमें ज्ञान से संबंध रखने वाला ही क्यों न भाग लें ; क्योंकि इसमें उनकी संख्या को अधिक बनाना और पाप पर उनकी सहायता करना पाया जाता है, जबकि अल्लाह तआला का कथन है :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة : ٢].

''नेकी और परहेज़गारी (धर्मपरायणता) के कामों में एक दूसरे का सहयोग करो, और पाप तथा आक्रामकता (ज़्यादती) के कामों में सहयोग न करो।'' (सूरतुल मायदाः 2)

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह हमारे ईश्दूत मुहम्मद, उनकी संतान और उनके साथियों पर दया एवं शांति अवतरित करे।'' अंत हुआ।

इफता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (अध्यक्ष), शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी (उपाध्यक्ष), शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान (सदस्य), शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद (सदस्य)

''फतावा स्थायी समिति'' द्वितीय संग्रह (2/76).